

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ.2(1)()मबाबि/आ.क.को./2018-19/66173

जयपुर, दिनांक: 24.04.2018

परिपत्र


परिपत्र सं. एफ.2(1)मबाबि/आकको/05/100997 दिनांक 13.11.2006 के अनुसार विभाग के अधीन मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं/सहयोगिनी/साथिनों के हितार्थ आंगनबाड़ी कल्याण कोष को गठित करने की घोषणा की गई थी।

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक महिला से एकत्रित अंशदान के सापेक्ष 1/4 (25 प्रतिशत) राशि राज्य अंशदान के रूप में देय थी। जिसके स्थान पर अब माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 71 के अनुसार शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.स. | श्रेणी | अर्द्ध वार्षिक राजकीय योगदान | जीवन बीमा राशि |
|--------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1. | आंगनबाड़ी कार्यकर्ता | 375 | 10.000 |
| 2. | सहयोगिनी, सहायिका | 188 | 10.000 |

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101801887 दिनांक 12.04.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।

इस योजना की अन्य शर्तें पूर्व परिपत्र सं. एफ.2(1)मबाबि/आकको/05/100997 दिनांक 13.11.2006 के अनुसार ही होगी।



अयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, सरकार

क्रमांक:-एफ.2(1)()मबाबि/आ.क.को./2018-19/66174 -- 66832 जयपुर, दिनांक: 24.04.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, (बाल विकास) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, मबाबि, सचिवालय जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबाबि सचिवालय जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2)/आयोजना विभाग (ग्रुप-4) सचिवालय जयपुर।
6. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक पी.एण्ड जी.एस. भारतीय जीवन बीमा निगम, भवानी सिंह रोड़, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पुष्टि करावें।
7. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)।
9. उप निदेशक (बाल विकास) एवं पदेन परियोजना निदेशक जिमविअ, मबाबि (समस्त)।
10. कोष कार्यालय (समस्त)।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति (समस्त)।
12. बाल विकास परियोजना अधिकारी मबाबि (समस्त)।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को राजपोषण सॉफ्टवेयर पर अपडेट कराने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
14. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ